

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड  
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आप.प्रक.क्रमांक 128 / 2016  
आर.सी.टी.नं. 150 / 2016  
संस्थित दिनांक-29.02.2016

म.प्र. राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी -अभियोगी

वि रु द्ध

जाफर हुसैन पिता शब्बीर हुसैन मुसलमान  
उम्र 25 वर्ष, निवासी बिलवा रोड़ अंजड  
जिला बड़वानी -अभियुक्त

---

राज्य तर्फे एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी ।  
अभियुक्त तर्फे अभिभाषक - श्री के.के. चांदौरे ।

---

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 28.05.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 17.02.2016 को प्रातः 11:45 बजे के लगभग बाटला ढाबे के आगे ए बी रोड़ ठीकरी में वाहन मारुति कार क्रमांक एम0पी0 41 सी.ए. 0336 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर आहत राहुल को टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा रोहित एवं देवीलाल को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 279,337,304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2016 को प्रातः 11:45 बजे के लगभग फरियादी राहुल ने थाना ठीकरी उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह उसके ग्राम दसौदा से ग्राम सालखेडा उसके रिश्तेदार की मंगनी में वह तथा उसके काका अर्जुन मुकाती के लडके सुरेन्द्र मुकाती की मोटरसाईकिल से वे तीनो जा रहे थे तथा देवीलाल मोटरसाईकिल चला रहा था एवं वह तथा रोहित मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे थे तथा ए बी रोड़ ठीकरी बाटला ढाबा के आगे पहुंचे कि पीछे से मारुति कार क्र. एम.पी 41 सी.ए. 0336 का चालक अपनी मारुति को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया व पीछे से मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे तीनों मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गये तथा उसे दाहिने हाथ की कोहनी व दाहिने घुटने में चोट लगी, देवीलाल व रोहित को सिर व हाथ, पैरों में गंभीर चोट आई तथा मौके पर ही देवीलाल व रोहित की मृत्यु हो गई। घटना आसपास के लोगों ने देखी है। उसने घटना उसके गांव के राम व जितेन्द्र को बताई तथा उसे सी एच सी ठीकरी अस्पताल ले गये बाद ईलाज के थाना रिपोर्ट करता है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया अपराध क्रं0 54 / 2016 अंतर्गत धारा 279,337,304-ए भा.द.सं. का अपराध वाहन मारुति कार

क्रमांक एम0पी0 41 सी.ए. 0336 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। नक्शा मौका बनाया गया। मार्ग जांच की गयी। पी0एम0 रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279,337,304-ए का अपराध विवरण पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.02.2016 को प्रातः 11:45 बजे के लगभग बाटला ढाबे के आगे ए बी रोड़ ठीकरी में वाहन मारुति कार क्रमांक एम0पी0 41 सी.ए.0336 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उक्त प्रकार से चलाकर आहत राहुल को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उक्त प्रकार से चलाकर रोहित एवं देवीलाल को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

विचारणीय बिन्दु 1,2 व 3 पर सकारण निष्कर्ष -

5. साक्ष्य व तथ्यों की पुनरावर्ती के निवाणार्थ विचारणीय बिन्दु क्रं. 1,2 व 3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में राहुल मुकाती (अ.सा.1), राम (अ.सा.2), जितेन्द्र(अ.सा.3), गुलाबसिंह (अ.सा.4), राजाराम सागोरे (अ.सा.5), डॉ. महेश चन्द्र वर्मा (अ.सा.6), भागचंद (अ.सा.7), अशोक वर्मा (अ.सा.8) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को राहुल को घटना के फलस्वरूप चोटे आयी थी, एवं रोहित एवं देवीलाल की मृत्यु दुर्घटना के परिणाम स्वरूप

**हुयी** इस संबंध में विचार करने पर साक्षी राहुल मुकाती (अ.सा.1) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, उनकी मोटरसाईकिल के आगे ट्रक चल रहा था तथा एक ट्रक उनके साईड में चल रहा था। उनके आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे उनकी मोटरसाईकिल ट्रक के पीछे टकरा गई जिस कारण वे तीनों गिर गये जिससे रोहित एवं देवीलाल को गंभीर चोटें आई तथा दोनों की मृत्यु हो गई एवं वह बेहोश हो गया। पुलिस को उसने रोहित एवं देवीलाल की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने बाबद् सूचना दी थी जिस पर से पुलिस ने प्रदर्श पी 2 व प्रदर्श पी 3 का मार्ग कायम किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राम (अ.सा.2) तथा जितेन्द्र (अ.सा.3) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, उन्हें मोबाईल पर राहुल ने घटना के बारे में बताया था कि, वह लोग मोटरसाईकिल पर से गिर गये हैं एवं रोहित को चोटे आयी।

**7.** गुलाबसिंह (अ.सा. 4) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि मृतक रोहित उसका पुत्र था तथा मृतक देवीलाल उसका रिश्तेदार था। घटना लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन उसका पुत्र एवं देवीलाल साईखेड़ा गणेश पुजन में जा रहे थे तभी दुर्घटना हुई थी, जिसकी सूचना उसे घर पर प्राप्त हुई थी। पुलिस ने उसे मृतक देवीलाल एवं रोहित की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्रदर्श पी 7 एवं प्रदर्श पी 8 के सफीना फार्म दिये थे जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने मृतकगण की लाश के पंचनामे प्रदर्श पी 9 एवं प्रदर्श पी 10 के बनाये थे जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजाराम सागोरे (अ.सा.5) के द्वारा थाने पर मृतक रोहित की मृत्यु के संबंध में मार्ग क्रमांक प्र.पी. 12 तथा मृतक देवीलाल के संबंध में मार्ग क्रमांक प्र.पी. 13 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं।

**8.** डॉ. महेशचन्द्र वर्मा (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 17.02.2016 को आहत राहुल पिता गुलाब निवासी दसोडा, जिला धार को ईलाज हेतु एम्बुलेंस से अस्पताल लाये जाने पर उसके द्वारा परीक्षण के दौरान एक कटा-फटा घाव जिसका आकार 7 X 5 X 5 से.मी. का दाहिनी भुजा पर था तथा खरोच जिसका आकार 5 X 5 से.मी. जो दाहिने घुटने पर होकर उक्त दोनों चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होकर 2 घंटे के भीतर की साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक रोहित पिता गुलाब निवासी दसोडा जिला धार का शव परीक्षण किया था, जिसका बाह्य परीक्षण करने पर उपर के दोनों जबड़े के दांत टूटे हुए थे, दाहिने ओर की पेलविक में अस्थिभंग था, सिर की हड्डी में फ्रेक्चर था, दाहिने बैराईटल बोन में फ्रेक्चर था, सामने कपाल पर फ्रेक्चर था, पेलविक भाग में पेनिस के उपर कटा घाव जिसका आकार 5 X 3 X 1 इंच का था, स्टर्नम और सभी पसलियों में फ्रेक्चर था तथा मृतक का आंतरिक परीक्षण करने पर दोनों फेफड़े फटे हुये थे एवं पेल कलर के थे, हृदय के दोनों चेंबर खाली थे, पेट में पंचा हुआ भोजन था एवं छोटी आंत में भी पचा हुआ भोजन था, लीवर फटा हुआ था एवं पेल कलर का था। स्पीलीन, किडनी में कटा फटा एवं पेल कलर का था, मुत्राशय खाली था तथा सभी चोटें मृत्यु पूर्व की हैं।

9. साक्षी ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके अभिमत में मृतक की मृत्यु उसकी मृत्यु के पूर्व उसके बाहरी एवं आंतरिक शरीर के भागों पर आयी गंभीर चोटों से होना प्रतीत होती थी एवं उसके शव परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक देवीलाल पिता बाबुलाल निवासी दसोडा जिला धार के शव का बाह्य परीक्षण करने पर दाहिने आंख के उपर कपाल पर फ्रेक्चर पाया गया था, नीचे होठ में कटा फटा घाव था, जिसका आकार 1 X 1 X इंच X हड्डी की गहराई तक था, टेम्पोरल बोन में फ्रेक्चर था, जबड़े में सीधी ओर फ्रेक्चर था, दाहिनी पेलविस बोन के उपर कटा फटा घाव था, जिसका आकार 2 X 1 X हड्डी की गहराई तक था, दाहिने तरफ छाती में सभी पसलियों में फ्रेक्चर था। मृतक का आंतरिक परीक्षण करने पर दोनों फेफड़े कटे फटे एवं पेल कलर के थे, हृदय के दोनों चेंबर खाली थे, पेट एवं छोटी आंत में पचा हुआ भोजन था, लीवर, स्पीलीन, किडनी कटी फटी एवं पेल कलर की थी, उपरोक्त सभी चोटे मृत्यु पूर्व की थी। उसके अभिमत में मृतक देवीलाल की मृत्यु उसकी मृत्यु के पूर्व उसके बाहरी एवं आंतरिक शरीर के भागों पर आयी गंभीर चोटों से होना प्रतीत होती थी, एवं उसके शव परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी राहुल (अ.सा.1) के चोट से संबंधित कथनों का समर्थन साक्षी राम (अ.सा.2), जितेन्द्र (अ.सा.3) व गुलाबसिंह (अ.सा.4) के कथनों से होता है यद्यपि साक्षी राम (अ.सा.1), जितेन्द्र (अ.सा.3) व गुलाबसिंह (अ.सा.4) घटना के अनुश्रुत साक्षी हैं किन्तु घटना में आहत राहुल (अ.सा.1) स्वयं के द्वारा मोबाईल पर उनको सूचना दिया जाना न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है। जिससे राहुल द्वारा किये गये चोट से संबंधित कथनों को बल मिलता है। साक्षी डॉ. महेशचन्द्र वर्मा (अ.सा.6) के द्वारा भी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। डॉ. महेशचन्द्र वर्मा (अ.सा.6) के न्यायालयीन कथन राहुल (अ.सा.1) के कथनों को समर्थन करते हैं। घटना के पश्चात् लिखायी गयी रिपोर्ट में भी राहुल (अ.सा.1) द्वारा यह बात लिखायी थी कि, गिरने से उसे दाहिने हाथ की कोहनी व दाहिने घुटने में चोटे आयी थी तथा देवीलाल व रोहित को सिर व हाथ पैरों में गंभीर चोटे आयी थी। बचाव पक्ष द्वारा भी उक्त साक्षीगण के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है तथा उक्त साक्षीगण के कथन पूर्णतः अखण्डित रहे हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, घटना दिनांक को राहुल को घटना के फलस्वरूप चोटे आयी थी, एवं रोहित एवं देवीलाल की मृत्यु दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुयी।

11. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाये जाने के परिणाम स्वरूप आहत राहुल को उपहति एवं रोहित और देवीलाल की मृत्यु कारित हुयी:- इस संबंध में विचार करने पर साक्षी राहुल (अ.सा.1), राम (अ.सा.2), जितेन्द्र (अ.सा.3) व गुलाबसिंग (अ.सा.4) को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त सभी साक्षीगण ने अभियुक्त पहचानने तथा उसके द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

12. साक्षी राहुल (अ.सा.1) जो घटना का आहत साक्षी है उसके द्वारा भी

अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे हैं किन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह अस्वीकार किया है कि, उसने पुलिस को अपनी रिपोर्ट प्र.पी. 1 में मारुति कार क्रमांक एम.पी. 41 सी.ए. 0336 के चालक के द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर पीछे से टक्कर मारने वाले बात लिखायी थी तथा यह भी अस्वीकार किया है कि, उसने अपने कथन प्र.पी. 4 में भी टक्कर मारने वाली बात बतायी थी तथा उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन के सभी सुझावों से इंकार किया है तथा साक्षी राम (अ.सा.2), जितेन्द्र (अ.सा.3) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, उन्हें राहुल के द्वारा मोबाईल पर घटना के बारे में बताया था तथा वह मोटरसाईकिल पर से गिर गये हैं तथा देवीलाल एवं रोहित को चोटे आयी है। साक्षी गुलाबसिंग (अ.सा.4) द्वारा भी अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, उसे घर पर घटना की सूचना प्राप्त हुयी थी तथा वह अभियुक्त को नहीं जानता है तथा दुर्घटना कौन से वाहन से हुयी थी उन्होंने नहीं देखी और ना ही उन्हें क्रमांक और चालक के बारे में मालूम है। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

13. साक्षी राम (अ.सा.2), जितेन्द्र (अ.सा.3) तथा गुलाबसिंग (अ.सा.4) घटना के चक्षुदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत कल्याण कुमार गोगोई विरुद्ध आशुतोष अग्निहोत्री ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट 760 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि— *As per section 60 of Indian Evidence Act, hearsay deposition of witness is not admissible and cannot be read as evidence. Failure to examine a witness who could be called and examined is fatal to the case of prosecution.* अतः उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन कथन को दृष्टिगत रखते हुये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर साक्षी राम (अ.सा.2) जितेन्द्र (अ.सा.3) तथा गुलाबसिंग (अ.सा.4) अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आते हैं जिस कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

14. राजाराम सागोरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 17.02.2016 को फरियादी राहुल द्वारा उपस्थित होकर मारुति कार क्र. एम.पी. 41 सी.ए. 0336 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार देने से दुर्घटना में रोहित व देवीलाल की मौके पर मृत्यु हो जाने संबंधित रिपोर्ट दर्ज करवाने पर उसके द्वारा थाना के अपराध क्र. 24/16 पर प्रदर्श पी 1 के अनुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा थाने पर मृतक रोहित की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्र. प्रदर्श पी 12 तथा देवीलाल की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्र. प्रदर्श पी 13 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक देवीलाल एवं रोहित की लाश का पंचनामा बनाने के लिये साक्षियों को प्रदर्श पी 7 एवं प्रदर्श पी 8 के नोटिस दिये थे जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक देवीलाल एवं रोहित की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 9 व प्रदर्श पी 10 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान साक्षीगण

गुलाब, अशोक, बाबुलाल, राहुल, राम, जितेन्द्र एवं राहुल के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने आरोपी जाफर के पेश करने पर वाहन मारुति कार क्र. एम.पी. 41 सी.ए. 0336, उसका पंजीयन, बीमा एवं आरोपी का ड्रायविंग लाईसेंस जप्त कर प्रदर्श पी 15 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के सभी सुझावों से इंकार किया है।

**15.** भागचन्द (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह उपस्थित अभियुक्त को जानता है। उसके पास वर्ष 2016 में मारुति 800 क्र. एम.पी 41 सी.ए. 0336 थी जिसकी देखरेख उसका पुत्र अमित करता है। उसके वाहन से कोई दुर्घटना हुई या नहीं उसे नहीं मालूम। पुलिस ने उसे उसके वाहन की दुर्घटना संबंधी सूचना दी थी। उसने पुलिस को सूचना का लिखित जवाब दिया था जो प्रदर्श पी 18 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय से उक्त वाहन का सुपुर्दगीनामा प्राप्त किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय से वाहन प्राप्त करने के लिये उसके पुत्र अमित को आममुख्तयार नियुक्त नहीं किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय से वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु प्रदर्श पी 19 का जो आवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें भी उक्त वाहन की देखरेख उसके पुत्र अमित द्वारा करना उल्लेख नहीं किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को उसके वाहन की देखरेख अमित द्वारा करना नहीं बताया था। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। साक्षी द्वारा अपने कथन में अभियोजन कहानी का समर्थन न करते हुये कहानी से भिन्न कथन किये हैं।

**16.** अशोक वर्मा (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसका त्रतुराज मोटर गेरेज के नाम से ए बी रोड ठीकरी पर चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों को सुधारने का गेरेज है। उसके द्वारा दिनांक 28.02.2016 को पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्र. 54/16 में जप्तशुदा मारुति कार वाहन क्र. एम.पी. 41 सी.ए. 0336 का यांत्रिकीय परीक्षण किया था तथा परीक्षण के दौरान वाहन को चालू हालत में पाया तथा उसमें कोई टुट फुट नहीं थी तथा उसके सभी पुर्जे चालू अवस्था में पाये गये थे। उसके द्वारा दी गयी यांत्रिकीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया है कि, उसे सरकार द्वारा यांत्रिकीय परीक्षण के लिये प्राधिकृत नहीं किया है एवं ना ही उसके द्वारा यांत्रिकीय परीक्षण के संबंध में कोई डिप्लोमा नहीं किया है।

**17.** राजाराम सागोरे (अ.सा.5) ने उनके द्वारा अनुसंधान में की गयी कार्यवाही को प्रमाणित किया है। भागचंद (अ.सा.7) द्वारा उसके वाहन के द्वारा घटना कारित हुयी या नहीं उसे नहीं पता होना व्यक्त किया है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अशोक वर्मा (अ.सा.8) ने प्रकरण में वाहन का यांत्रिकीय परीक्षण किया है किन्तु उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, ना तो उसके द्वारा यांत्रिकीय परीक्षण के संबंध में कोई डिप्लोमा किया है और ना ही उसको सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया गया। इस प्रकार अशोक

वर्मा (अ.सा.8) की साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। चूंकि प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी ने अभियुक्त को वाहन चलाते हुये नहीं देखा है। आहत साक्षी राहुल (अ.सा.1) के अलावा अन्य साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी है जिस कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस कारण राजाराम सागोरे (अ.सा.5) तथा अशोक वर्मा (अ.सा.8) की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की रह जाती है। कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। अभियुक्त के द्वारा उपेक्षापूर्वक, लापरवाहीपूर्वक व तेजी से वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

**18.** अनुसंधानकर्ता अधिकारी के कथन प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि के निष्कर्ष के आधार नहीं हो सकते हैं, और इस कारण अभियोजन का प्रकरण पुष्टि योग्य नहीं है। साक्षीगण के कथनों से यह दर्शित है कि, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त साक्षीगणों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक रोहित व देवीलाल की मृत्यु व राहुल को उपहति अभियुक्त जाफर के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 238 एम०पी० विकली नोट्स 1994-(II)** तथा **न्यायदृष्टांत राम दयाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 1993 एम०पी०एल०जे०** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, **यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है, तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।**

**19.** उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त जाफर ने दिनांक 17.02.2016 को समय 11:45 बजे स्थान— बाटला ढाबे के आगे ए.बी.रोड ठीकरी में वाहन मारुति क्रमांक एम०पी० 41 सी.ए. 0336 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन ढंग से चलाया जिससे राहुल, रोहित एवं देवीलाल का मानवजीवन संकटापन्न हो गया, उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राहुल को टक्कर मारकर उपहति कारित की, उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर रोहित व देवीलाल को टक्कर मारी जिससे जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

**20.** उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्र० 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्त को धारा 279, 337, 304—ए भा०द०सं० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

**21.** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**22.** अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द०प्र०सं० की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

// 8 //

आप.प्रक.क्रमांक 128 / 2016

आर.सी.टी.नं. 150 / 2016

संस्थित दिनांक-29.02.2016

23. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन मारुति क्रमांक एम0पी0 41 सी.ए. 0336 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी भागचंद पिता भंवरलाल चौपडा निवासी राजपुर तहसील राजपुर जिला बड़वानी की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.